

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-4/2016/जी-2-87/दस-2016-501/75टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त , 2016

कार्यालय-जाप

विषय- भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि ।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार को अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना जिसके अन्तर्गत अभिदाता को बिना प्रीमियम दिये बीमा के अनुरूप लाभ मिल सके, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा0-4-209/दस-501-75, दिनांक 05 दिसम्बर, 1979 द्वारा लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। तत्पश्चात 30प्र० द्वितीय वेतन आयोग 1979-80 की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(iii)(क) में उल्लिखित सेवा समूहों के वेतनमान को वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कार्यालय जाप संख्या-सा0-4-553/दस-85-501-79, दिनांक 04 अप्रैल, 1985 द्वारा संशोधित किया गया था। पुनः योजना के उदारीकरण के उद्देश्य से वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के कार्यालय जाप संख्या-सा0-4-152-/दस-94-501-75, दिनांक 25 अप्रैल, 1994 द्वारा उक्त दोनों कार्यालय जापों में आंशिक संशोधन करते हुए योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम सीमा रु0 30000/-निर्धारित की गयी है।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से राज्य में पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू होने के उपरान्त इस योजना में निम्नानुसार पुनः संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) सेवाकाल में अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों को अधोलिखित बिन्दु-3 की शर्तों के अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि योजना के अन्तर्गत किसी एक मामले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की अधिकतम सीमा रु0 60000/-से अधिक नहीं होगी।

(2) अंशदायी भविष्य निधि (सी0पी0एफ0) के मामले में केवल अभिदाता के अभिदान की धनराशि तथा उस पर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिये अवशेष धनराशि मानी जायेगी।

(3) उपरोक्त लाभ निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर प्राप्त होगा:-

(क) मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान ऐसे अभिदाता के खाते में विद्यमान अवशेष किसी भी समय निम्नलिखित सीमा से कम न हुआ हो:-

(एक) अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पदधारण किया हो जो वेतन बैण्ड-2 रु0 9300-34800 या उससे ऊपर का हो अथवा ग्रेड वेतन रु0 4800/- प्रतिमाह या उससे अधिक प्राप्त किया हो। रु0 25000/-

(दो) अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पदधारण किया हो जो वेतन बैण्ड-2 रु0 9300-34800 का हो परन्तु उसमें ग्रेड वेतन रु0 4200/- प्रतिमास या उससे अधिक किन्तु ग्रेड वेतन रु0 4800/- प्रतिमाह से कम प्राप्त किया हो। रु0 15000/-

(तीन) अभिदाता जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहद भाग में ऐसा पदधारण किया हो जो वेतन बैण्ड-1 रु0 5200-20200 का हो परन्तु उसमें ग्रेड वेतन रु0 1800/-प्रतिमास या उससे अधिक किन्तु ग्रेड वेतन रु0 4200/- से कम प्राप्त किया हो। रु0 10000/-

(ख) इस योजना के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि रु0 60000/- (रु0 साठ हजार मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(ग) अभिदाता ने अपने मृत्यु के समय कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

3- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05 दिसम्बर, 1979 की शेष शर्त पूर्ववत् लागू रहेंगे।

4- यह संशोधन शासनादेश निर्गत होने की तारीख से प्रभावी होगा।

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या-4/2016/जी-2-87(1)/दस-2016-501/75टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार(लेखा) प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (5) निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, ३०प्र०।
- (6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा०-४-२०९/दस—५०१-७५
लखनऊ, ५ दिसम्बर, १९७९

कार्यालय जाप

विषय:—भविष्य निवाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा धनराशि के सम्बद्ध बीमा योजना
(Deposit linked Insurance Scheme for subscribers to the Porvident Fund.)

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य निधि के अभिदाताओं में अधिक बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने तथा उनके परिवार के लिए अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय ने उनके भविष्य निवाह निधि में जमा धनराशि से सम्बद्ध एक बीमा योजना, (Deposit-linked Insurance Scheme) जिसके अन्तर्गत अभिदाता को, बिना प्रीमियम दिये, बीमा के अनुरूप लाभ मिल सकेगा, लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है।

2—यह योजना दिनांक १ अप्रैल, १९७९ से लागू की जायगी।

3—उक्त योजना निम्न रूप से लागू होगी:—

(i) सेवाकाल में अभिदाता (Subscriber) की मृत्यु हो जाने पर उसकी निधि में जमा अवशेष धनराशि को संगत नियमों के अनुसार प्राप्त करने के लिए पाव/व्यक्तियों को निम्नलिखित उप पैराग्राफ (iii) के परन्तुके अधीन उस अभिदाता की मृत्यु के पूर्ववर्ती ३ (तीन) वर्षों में उनके भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि के औसत के बराबर अतिरिक्त धनराशि स्वीकार की जायगी, किन्तु प्रतिवन्ध यह होगा कि योजना के अन्तर्गत किसी एक मासले में इस अतिरिक्त देय धनराशि की उच्चतम सीमा १०,०००/- (दस हजार रुपये) से अधिक नहीं होगी।

(ii) अंशदायी भविष्य निधि (Contributory Provident Fund) के मासले में केवल अभिदाता के अभिदान (Subscription) की धनराशि तथा उस पर अनुमन्य ब्याज की धनराशि ही इस प्रयोजन के लिये “अवशेष धनराशि” मानी जायेगी।

(iii) उपरोक्त लाभ निम्न शर्तों के पूरी होने पर ही प्राप्त होगा

(क) मृतक अभिदाता के भविष्य निवाह निधि खाते में अवशेष धनराशि उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती ३ वर्षों में कभी निम्नलिखित सीमाओं से नीचे न गिरी हो:—

(1) समूह “क” का अधिकारी (अर्थात् ऐसा राजपत्रित पद का अधिकारी जिसके वेतन की अधिकतम धनराशि २०००/- रुपये है) १,२०० से अधिक हो) १,२००/- रुपये १,२०००/- (१)

(2) समूह “ख” का अधिकारी—(अर्थात् ऐसा राजपत्रित पद का अधिकारी जिसके वेतन मान की अधिकतम धनराशि २०००/- रुपये है) १,२०० से अधिक न हो) १,२०००/- रुपये १,२०००/- (२)

(3) समूह “ग” का कर्मचारी—(अर्थात् ऐसा अराजपत्रित पद का कर्मचारी जिसके वेतन-

मान की न्यूनतम धनराशि २०० या इससे अधिक हो) २००/- रुपये २००/- (३)

(4) समूह “घ” का कर्मचारी—(शेष सभी अराजपत्रित पद के कर्मचारी) ५००/- रुपये ५००/- (४)

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाभ तभी अनुमन्य होगा यदि मृत्यु के समय अभिदाता ने कम से कम ५ (पाँच) वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

4—इस योजना से सम्बन्धित व्यय आय-व्ययक के लिखार्शीर्क “288—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-डॉ-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम” के अन्तर्गत सम्बद्ध प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायगा।

5—सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को इस राजाज्ञा द्वारा लागू योजना से अविलम्ब अवगत करा दें।

6—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

सुरेन्द्र सिंह, पांगती
विशेष सचिव।

4—सभी विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों से यह निवेदन है कि वे अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस राजाज्ञा द्वारा लागू योजना से अविलम्ब अवगत करा दें।

5—कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार की जाय।

सुरेन्द्र सिंह पांगती
विशेष सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-4-209(1)/दस—501-75, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—शासन के समस्त सचिव।
- 2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 3—महालेखाकार प्रथम, दितीय, तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
जगदीश सिंह,
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-221/दस-501/75
लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 1981

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:—भविष्य निर्वाह निधि के अभिदाता राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से सम्बद्ध बीमा योजना।

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4-209/दस-501/75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली बीमा की धनराशि को प्राप्त करने के संबंध में कुछ प्रश्न/शंकायें उठाई गई हैं जिनका उत्तर/स्पष्टीकरण निम्न रूप में दिये जाने का निदेश हुआ है:—

प्रश्न/शंकायें

उत्तर/स्पष्टीकरण

1—क्या उक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन-पत्र अलग से देना होगा?

जी हाँ। पूर्व निर्धारित प्रपत्र-ग के साथ एक आवेदन पत्र अलग से देना होगा जिसका प्रारूप संलग्न (प्रपत्र-ग-1) है और जो मृत कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि के अन्तिम भुगतान को प्राप्त करने के लिए दिये जाने वाले उपरोक्त पूर्व निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ ही दिया जायेगा।

2—मृतक सरकारी सेवकों के ऐसे मामलों में, जिनमें उनके भविष्य निधि खातों में जमा अवशेष के अन्तिम भुगतान के आवेदन-पत्र पहले ही दिये जा चुके हैं, केवल इस योजना के अन्तर्गत देय धनराशि के ही भुगतान हेतु यह आवेदन पत्र (प्रपत्र-ग-1) दिया जायेगा।

2—इस अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के आदेश किस अधिकारी द्वारा पारित किये जायेंगे ?

3—इस अतिरिक्त धनराशि के पाने के लिए कौन व्यक्ति/व्यक्तिगण पात्र होंगे और उसका भुगतान किस अनुपात में होगा ?

4—न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त क्या अस्थायी एवं स्थायी कर्मचारियों के लिये समान है ?

5—अभिदाता राज्य कर्मचारी की मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि में उसके भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष की गणना कैसे की जायेगी ?

2—उपरोक्त योजना के अन्तर्गत धनराशि के भुगतान हेतु आवेदन करने के लिए प्रपत्र (ग-1) निर्धारित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय ज्ञाप के साथ संलग्न है।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-4-221 (1)/दस-501/75 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3—सचिव, विधान सभा/परिषद्।

चूंकि इस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान भविष्य निधि की अवशेष धनराशि के अन्तिम भुगतान के समान ही होगा। इसलिए जहां जैसी स्थिति हो उसके अनुसार महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद अथवा कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा ही इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि के भुगतान के आदेश पारित किये जायेंगे।

इस अतिरिक्त धनराशि का भुगतान उसी/उन्हीं व्यक्ति/व्यक्तियों को होगा जो मृत कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि का भुगतान नियमानुसार पाने के पात्र हों और भुगतान का अनुपात भी वही रहेगा जो मृत सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाते में जमा अवशेष धनराशि के लिये होगा -

जी हां।

देखिए संलग्न आवेदन पत्र का परिशिष्ट।

बसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव।

आज्ञा से,
दुर्गा बहादुर श्रीवास्तव,
उप सचिव।

[प्रपत्र (ग-1)]

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर वित्त विभाग के राजाज्ञा संख्या सामान्य-4-209/दस-501/75, दिनांक 5 दिसम्बर, 1979 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने का वह आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या जहां कोई नामन (Nomination) न हो, अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा।

सेवा में,

(1) महालेखाकार;

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से)

(2) विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

(अधिकारी का पदनाम तथा उसके कार्यालय का पता दिया जाय)

महोदय;

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री/श्रीमती/कुमारी के भविष्य निधि खाते में उसकी मृत्यु माह (दिनांक) के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है उसके बराबर बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का कृपया प्रबन्ध करें। इस संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नवत हैं:—

(1) सरकारी कर्मचारी का नाम

(2) जन्म का दिनांक

(3) राज्य सरकार की सेवा प्रारंभ करने का दिनांक

(4) वह पद जिस पर सरकारी कर्मचारी मृत्यु के पूर्व सेवारत था

(5) क्या मृत्यु की तिथि को कर्मचारी ने पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी.....

(6) मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में औसत जमा और उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुये प्रार्थी बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पत्र है अथवा नहीं

(7) नगरपालिका के प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण-पत्र के रूप में, यदि उपलब्ध हो, मृत्यु का प्रमाण-पत्र (संलग्नक सं०)

(8) मृत्यु का दिनांक

(9) अभिदाता को प्रदिष्ट (Allotted) भविष्य निधि लेखे की संख्या

(10) अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में औसत जमा भविष्य निधि की धनराशि, यदि ज्ञात हो (रु०)।

(11) यदि कोई नामन (Nomination) हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामितों (Nominees) का ब्यौरा:

नामित का नाम

अभिदाता से संबंध

नामित का हिस्सा

1—

2—

3—

की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिए कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था :

| नाम | अभिदाता से संबंध | मृत्यु के दिनांक पर आयु |
|-----|------------------|-------------------------|
| 1— | | |
| 2— | | |
| 3— | | |

(14) उस दशा में जब कि अवयस्क पुत्र/पुत्री को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, यदि धनराशि देय हो, तो दावे का भुगतान यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र या अभिभावक प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(15) यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामन (Nomination) न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय है इसका समर्थन सप्रमाण-पत्रों (letters of probate) या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि द्वारा दिया जाना चाहिए ।

| नामित का नाम | अभिदाता से संबंध | नामित का हिस्सा |
|--------------|------------------|-----------------|
| 1— | | |
| 2— | | |
| 3— | | |

(16) दावेदार (दावेदारों) का धर्म ।

(17) भुगतान.....के कार्यालय के जरिये.....कोषागार/उपकोषागार, के जरिये चाहते हैं । इस संबंध में सेवारत गजटेड (राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा यथावत प्रमाणित) निम्नलिखित लेख्य संलग्न हैं :

(i)* अभिज्ञान के वैयक्तिक चिन्ह ।

(ii) वाये/दायें हाथ के अंगूठे और उंगलियों की छाप (निरक्षर दावेदारों की दशा में) ।

(iii) नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतियां (साक्षर दावेदारों की दशा में) ।

भवदीय,

स्थान

दिनांक

(दावेदार के हस्ताक्षर)

(कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कि ऊपर दिये गये व्योरे का विधिवत् सत्यापन कर लिया गया है ।

2—श्री/श्रीमती/कुमारी.....के भविष्य निधि लेखे की संख्या (जैसी वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गई है).....है ।

3—उसकी मृत्यु दिनांक.....को हुई । नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

*यह केवल उसी समय लागू होगा जबकि भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहा गया हो ।

4—उसके……………महीने (सेवाकाल का अन्तिम मास लिखा जाना चाहिये) के बेतन से, जो इस कार्यालय के देयक (बिल) संख्या……दिनांक……के द्वारा निकाला गया, अभिदान की अन्तिम कटौती,……रु० (……रुपये की) की गयी, जिसका ……………कोषागार का नकदी प्रमाणक (केश वाउचर) संख्या, कटौती की धनराशि ……………रु० थी और अग्रिम धन की बापसी की वसूली…………रु० थी ।

5—प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में न तो उसे कोई अस्थायी अग्रिम धन स्वीकृत किया था और न उसके भविष्य निधि लेखे से अन्तिम रूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी थी ।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थाई अग्रिम तथा/अथवा अन्तिम निष्कासन के रूप में धनराशियाँ निकालने के लिए स्वीकृत की गयी थी और वे निकाल ली गयी थी :—

| अग्रिम/अन्तिम निष्कासन | निकाली जाने वाली धनराशियाँ | चुकता किये जाने का (इनकैशमेंट) | प्रमाणक संख्या |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

6—प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम के भुगतान हेतु उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में उसके भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाली गयी थी/निम्नलिखित धनराशियाँ निकाली गयीं थीं :—

| पालिसी संख्या और कम्पनी का नाम | धनराशि | दिनांक | प्रमाणक संख्या |
|--------------------------------|--------|--------|----------------|
| 1— | | | |
| 2— | | | |
| 3— | | | |

7—उसने वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या जी-2-2445/दस-511/1958, दिनांक 16 जनवरी, 1960 में दी गयी वातों के अनुसार, अपनी भविष्य निधि की धनराशि को उक्त निधि में बनाये रखने का विकल्प चुना था और उसका विकल्प इस कार्यालय के पत्र संख्या…………दिनांक…………द्वारा भेजा गया था, संलग्न है ।

8—*प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिये देय सरकार की कोई मांग नहीं है/ निम्नलिखित मांगे हैं।

कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

°प्रमाण-पत्र संख्या 8 केवल अंशदायी भविष्य निधि की दशा में दिया जायगा ।

APPENDIX TO FORM C-I

Note 1—The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36th months preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balances prescribed under this scheme :

- (a) the balance at the end of March shall include the annual interest credited in terms of rule 14, and
- (b) if the last of the aforesaid 36 months is not March it shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note2—Payments under this scheme should be in whole rupees, if an amount due includes a fraction of a rupee, it should be rounded to the nearest rupee, (50 paise counting as the next higher rupee).

Note3—Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and, therefore, the statutory protection given by section 3 of the Provident Fund Act, 1925 (Act XIX of 1925) does not apply to sum payable under this scheme.

Note4—The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer/Heads of Departments responsible for the maintenance of the accounts of the Fund having regard to the trend of expenditure in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

Note5.—The post which a Government servant had been holding for the greater part of the aforesaid period of 3 years, should be taken into account for the purpose of determining the minimum balance in his account at the time of his death.

प्रपत्र ग-1

(शा०सं०— सा-४-२२१ / दस-५०१ / ७५ दिनांक २५.०४.१९८१ के अनुसार)

(सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में उसके भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर वित्त विभाग के राजाज्ञा संख्या-४-२०९/दस-५०१/७५, दिनांक ५ दिसम्बर, १९७९ के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने का वह आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या जहां कोई नामन (Nomination) न हो, अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा)

सेवा में

.....
.....
.....
महोदय,

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री ————— के भविष्य निधि खाते में उसकी मृत्यु माह (दिनांक —————) के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है उसके बराबर बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का कृपया प्रबन्ध करें। इस संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् हैं—

- 1- सरकारी कर्मचारी का नाम —
.....
- 2- जन्म का दिनांक — ०३.०६.१९५६
.....
- 3- राज्य सरकार की सेवा प्रारंभ करने का दिनांक
.....
- 4- वह पद जिस पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पूर्व सेवारत था— विद्युत मिस्ट्री
.....
- 5- क्या मृत्यु की तिथि को कर्मचारी मृत्यु के पूर्व सेवारत था— हॉ
- 6- मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में औसत जमा और उपरोक्त शासनादेश में निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुए प्रार्थी बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं— नियमानुसार प्रार्थी बीमा धनराशि पाने का पात्र है।
- 7- नगरपालिका के प्राधिकारियों आदि द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र के रूप में, यदि उपलब्ध हो,
.....
- 8- मृत्यु का दिनांक —
.....
- 9- अभिदाता को प्रदिष्ट (Alloted) भविष्य निधि लेखे की
.....
- 10- अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षों में औसत जमा भविष्य निधि की धनराशि, यदि ज्ञात हो रु० ६००००.०० से अधिक
- 11- यदि कोई नामन (Nomination) हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामितों (nominee) का ब्यौरा:

| नामित का नाम | संबंध | नामित का हिस्सा |
|--------------|-------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 12- उस दशा में परिवार का ब्यौरा जब कि नामन (Nomination) किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो परिवार का सदस्य न हो, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो

| नामित का नाम | संबंध | नामित का हिस्सा |
|--------------|-------|-----------------|
| | | |
| | | |

- 13-- यदि कोई नामन न हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों का ब्यौरा दिया जाय। यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत पुत्र की पुत्री हो और उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिये कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था :—

| नामित का नाम | संबंध | नामित का हिस्सा |
|--------------|-------|-----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 14- उस दशा में जब कि अवस्यक पुत्र/पुत्री को जिसकी माँ (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, यदि धनराशि देय हो, तो दावे का भुगतान यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र या अभिभावक प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना चाहिए।

- 15- यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामन (Nomination) न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि की धनराशि देय है इसका समर्थन सप्रमाण-पत्रों (letters of probate) या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र आदि द्वारा दिया जाना चाहिए।

| नामित का नाम | संबंध | नामित का हिस्सा |
|--------------|-------|-----------------|
| | | |
| | | |

- 16- दावेदार (दावेदारों) का धर्म –

हिन्दू

- 17- भुगतान कार्यालय से चाहते हैं। बैंक खाते का विवरण निम्नवत् है:—

- (1) खाताधारक का नाम—
 (2) बैंक का नाम—
 (3) खाता संख्या—
 (4) आई0एफ0एस0 कोड—
- 18- मृतक सेवक के जी0पी0एफ0 खाते से अन्तिम भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम व संबंध

भवदीया

संलग्नक:— (1) मृत्यु प्रमाण-पत्र

नाम—
 पति का नाम
 पता—

—प्रारूप—

स्व0 श्री के जी0पी0एफ0 खाता सं0 में मृत्यु के दिनांक.....
 से विगत 03 वर्ष/36 माहों में जमा धनराशि का विवरण

| क्र0 सं0 | माह का नाम | प्रारम्भिक अवशेष / ब्याज | माह का अभिदान | अग्रिम की वापसी | अग्रिम / निष्कासन | प्रगामी अवशेष |
|---|------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| कुल योग | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अभिदाता की मृत्यु से पूर्ववर्ती 03 वर्ष/36 माहों में जमा औसत धनराशि (प्रगामी अवशेष / 36) | | | | | | 0 |

कार्यालय आदेश

श्रीमती पत्नी स्व0 श्री के प्रार्थना पत्र दिनांक..... के क्रम में, सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के नियम-23, सपष्टित वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 4-209/दस-501-75 दिनांक 05.12.1979, शा0 सं0 सा-4-221/दस-501/75 दिनांक 25.04.1981 एवं शा0 सं0-4-2016/जी-2-87 दस-2016-501/75 टी0सी0 दिनांक 11.08.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार “राज्य कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा धनराशि के सम्बद्ध बीमा योजना” (**DEPOSIT- LINK INSURANCE SCHEME**) के अन्तर्गत स्व0 श्री जिनका निधन दिनांक को हो गया था, के सा0भ0नि0 खाता संख्या में मृत्यु के पूर्ववर्ती 36 माहों/तीन वर्ष में जमा धनराशि के औसत धनराशि के बराबर अतिरिक्त धनराशि रु0 60,000-00 (रूपये साठ हजार मात्र) की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्रीद्वारा मृत्यु के दिनांक..... को वेतन बैण्ड—.... रु0 ग्रेडवेतन रु0 मे कार्यरत रहते हुये, कुल 05 वर्ष से अधिक की राजकीय सेवायें पूर्ण की जा चुकी है तथा जी0पी0एफ0 खाते में मृत्यु के दिनांक के पूर्ववर्ती 36 माहों/तीन वर्षों की औसत जमा अवशेष धनराशि रु0 60,000/- से अधिक है।

इस धनराशि का भुगतान स्व0 श्रीकी पत्नी श्रीमती (जिन्हें जी0पी0एफ0 का सम्पूर्ण अन्तिम भुगतान किया गया है), को किया जाएगा।

उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या-62 (वित्त विभाग) लेखा शीर्षक 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 60— अन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम, 104—जमा सम्बद्ध बीमा योजना सरकारी भविष्य निधि, 03— जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 42— अन्य व्यय के नामें डाला जाएगा।